

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 213/2023

दायर दिनांक 29.09.2023

वादी

प्रतिवादीगण

1. बानो पत्नी हारून जाति धोबी निवासी खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला-नागौर, राजस्थान।

1. उमरदीन पुत्र मांगुदीन
2. युसूफ पुत्र मोहम्मद
3. जब्बार पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
4. सलीम पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
5. इब्राहीम पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
6. फारुक पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
7. वहीदन पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
8. सायरी पुत्री मोहम्मद उर्फ ममदू
9. ईद मोहम्मद उर्फ कालु खां पुत्र मुस्ताक अहमद
10. हसन मोहम्मद पुत्र मुस्ताक अहमद
11. अकबर पुत्र मुस्ताक अहमद समस्त जाति धोबी मुस्लिम निवासीगण खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज0
12. तहसीलदार छोटी खाटू

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री हरफूल राव वकील वादी।
2. श्री पुसाराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 27.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै ग्राम खाटू खुर्द मे अवस्थित खेताय खेत खसरा सं0 2198/505 रकबा 1.6600 हैक्टे0, खसरा सं0 507 रकबा 1.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 511 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 512 रकबा 3.4100 हैक्टे0, खसरा सं0 2197/505 रकबा 1.6300 हैक्टे0, खसरा सं0 503 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 504 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 2195/453 रकबा 1.2450 हैक्टे0, खसरा सं0 506 रकबा 1.1400 हैक्टे0 एवं मौजा खाटूबड़ी के खसरा सं0 484 रकबा 172.6 बीघा व मौजा फिरोजपुरा के खसरा सं0 85 रकबा 119 बीघा, खसरा सं0 103 रकबा 8.19 बीघा मौजा छोटी खाटू के खसरा सं0 1209 रकबा 15.13 बीघा, खसरा सं0 1247 रकबा 20.10 बीघा, खसरा सं0 1248 रकबा 7.02 बीघा, खसरा सं0 1249 रकबा 6.10 बीघा, खसरा सं0 1251 रकबा 21.05 बीघा की भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 07.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

*Nikas*  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना



-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम खाटू खुर्द मे अवस्थित खेताय खेत खसरा सं० 2198/505 रकबा 1.6600 हैक्टे०, खसरा सं० 507 रकबा 1.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 511 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 512 रकबा 3.4100 हैक्टे०, खसरा सं० 2197/505 रकबा 1.6300 हैक्टे०, खसरा सं० 503 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 504 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 2195/453 रकबा 1.2450 हैक्टे०, खसरा सं० 506 रकबा 1.1400 हैक्टे० एवं मौजा खाटूबड़ी के खसरा सं० 484 रकबा 172.6 बीघा व मौजा फिरोजपुरा के खसरा सं० 85 रकबा 119 बीघा, खसरा सं० 103 रकबा 8.19 बीघा मौजा छोटी खाटू के खसरा सं० 1209 रकबा 15.13 बीघा, खसरा सं० 1247 रकबा 20.10 बीघा, खसरा सं० 1248 रकबा 7.02 बीघा, खसरा सं० 1249 रकबा 6.10 बीघा, खसरा सं० 1251 रकबा 21.05 बीघा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

*ikas*  
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डी.डी.वा.ना

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*ikas*  
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डी.डी.वा.ना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना  
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 213/2023

दायर दिनांक 29.09.2023

वादी

1. बानो पत्नी हारून जाति धोबी  
निवासी खाटू खुर्द तहसील  
छोटी खाटू जिला-नागौर,  
राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. उमरदीन पुत्र मांगुदीन
2. युसूफ पुत्र मोहम्मद
3. जब्बार पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
4. सलीम पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
5. इब्राहीम पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
6. फारुक पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
7. वहीदन पुत्र मोहम्मद उर्फ ममदू
8. सायरी पुत्री मोहम्मद उर्फ ममदू
9. ईद मोहम्मद उर्फ कालु खां पुत्र मुस्ताक  
अहमद
10. हसन मोहम्मद पुत्र मुस्ताक अहमद
11. अकबर पुत्र मुस्ताक अहमद समस्त जाति  
धोबी मुस्लिम निवासीगण खाटू खुर्द  
तहसील छोटी खाटू जिला  
डीडवाना-कुचामन राज0
12. तहसीलदार छोटी खाटू

बनाम

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 27.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूल राव वकील वादी व श्री पुसाराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण की ओर स मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम खाटू खुर्द मे अवस्थित खेताय खेत खसरा सं0 2198/505 रकबा 1.6600 हैक्टे0, खसरा सं0 507 रकबा 1.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 511 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 512 रकबा 3.4100 हैक्टे0, खसरा सं0 2197/505 रकबा 1.6300 हैक्टे0, खसरा सं0 503 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 504 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 2195/453 रकबा 1.2450 हैक्टे0, खसरा सं0 506 रकबा 1.1400 हैक्टे0 एवं मौजा खाटूबड़ी के खसरा सं0 484 रकबा 172.6 बीघा व मौजा फिरोजपुरा के खसरा सं0 85 रकबा 119 बीघा, खसरा सं0 103 रकबा 8.19 बीघा मौजा छोटी खाटू के खसरा सं0 1209 रकबा 15.13 बीघा, खसरा सं0 1247 रकबा 20.10 बीघा, खसरा सं0 1248 रकबा 7.02 बीघा, खसरा सं0 1249 रकबा 6.10 बीघा, खसरा सं0 1251 रकबा 21.05 बीघा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1429 दिनांक 27.12.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिपोर्ट दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

*Wkas*  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना